न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 156/2017 (उदयपुर डिक्री)

1. प्रभाष कुमार उर्फ पन्नालाल पिता रामलाल जी गुर्जर, निवासी बलीचा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती नानी देवी पत्नी प्रभाष कुमार जी गुर्जर, निवासी बलीचा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर, उदयपुर (राज.)

.................रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0–1955 विरूद्ध निर्णय
एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी गिर्वा
दिनांक 03.06.2017 प्र.सं. 189/13

———/———

उपस्थित(वक्तबहस)1. श्री पन्नालाल मारू अभिभाशक अपीलान्टगण
2. श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक

———:::———

निर्णय दिनांक

26–03–2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण द्वारा रेस्पोन्डेन्ट सरकार के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम काया में आराजी नंबर 3640/1 मी. रकबा 0.2000 हैक्टर एवं आराजी नंबर 3641 मी. रकबा 0.7200 हैक्टर कुल किता 2 रकबा 0.9200 हैक्टर भूमि स्थित है, जो राजस्व रेकार्ड में बिलानाम काबिल काश्त अंकित है। उक्त आराजियात वादीगण को दिनांक 02–08–2003 को आवंटन कमेटी द्वारा विधिवत आवंटित की गयी तब से वादीगण का कब्जा चला आ रहा है तथा

वादीगण फसले ले रहे हैं एवं चारों ओर पक्की बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कर रखा है, किन्तु राजस्व अभिलेखों में भूमि वादीगण के नाम अंकित नहीं हो पायी है, जिससे वादीगण के हकों पर कुठाराघात हो रहा है। अतएवं वादीगण को उपरोक्त आराजियात खातेदार घोषित किया जाकर स्थाई निषेधाज्ञा दिलायी जावे।

प्रतिवादी सरकार की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत कर वाद वर्णित तथ्यों को अस्वीकार किया गया तथा वादीगण का वाद आधारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण लोक अदालत में रखकर वादी की उपस्थित में दिनांक 03–06–2017 को वादीगण का वाद साबित नहीं होने के आधार पर खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 12–09–2017 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 03–06–2017 को कैम्प में अपीलान्ट से खाली आदेशिका पर हस्ताक्षर करवा लिये एवं बताया कि निर्णय नियत पेशी दिनांक 04–07–2017 को होगा। दिनांक 04–07–2017 को अपीलान्ट मय अधिवक्ता पेशी पर गया तो न तो पत्रावली निकली न ही पेशी दी गयी तथा संबंधित लिपिक ने बताया कि कैम्प कोर्ट की पत्रावलियां अभी व्यवस्थित नहीं हुई हैं। दिनांक 05–09–2017 को अपीलान्ट के अधिवक्ता ने जब पुनः जानकारी का प्रयास किया तो ज्ञात हुआ की वाद खारिज हो चुका है। अपीलान्ट द्वारा जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। देरी का पर्याप्त कारण है। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

हमने उक्त आवेदन का अवलोकन कर पत्रावली का मनन किया तो यह पाया कि दिनांक 03–06–2017 की आदेशिका पर वादी/अपीलान्ट संख्या 1 स्वयं की हस्ताक्षर हैं। फिर भी प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को तलब किया गया। रेस्पोन्डेन्ट राज्य सरकार की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा प्रमुख रूप से यह उजर लिया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय स्पीकिंग आदेश की श्रेणी में नहीं आता है तथा अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण को समझने में भूल की है एवं पक्षकारों की बिना बहस सुने मात्र राजस्व लोक अदालतों की निर्णयों संख्या बढ़ाने हेतु अपीलान्ट को बिना सुने वाद खारिज कर दिया। अतएवं अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि राजस्व अभिलेखों में विवादित आराजियात बिलानाम काबिल काश्त दर्ज है। दिनांक 03–06–2017 की आदेशिका अनुसार वादी स्वयं ने वादीग्रस्त भूमि उसको आवंटित नहीं होने एवं उसके खाते दर्ज नहीं होने का कथन किया है। हालांकि अपीलान्ट ने उक्त हस्ताक्षर खाली आदेशिका पर होने का कथन किया है, किन्तु आदेशिका पर उसके हस्ताक्षर होने से यह नहीं माना जा सकता कि उसने बिना आदेशिका लिखे हस्ताक्षर किये हों। जहां तक कब्जे का प्रश्न है, इस हेतु अपीलान्ट के विरूद्ध धारा 91 के नोटिस जारी हुए हैं, किन्तु इससे अपीलान्ट का कब्जा बतौर अतिकमी ही माना जा सकता है एवं अतिकमी का कोई लोकस स्टैण्डाई नहीं होता है तथा कब्जे के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में माननीय राजस्व मण्डल की वृहत पीठ अनुसार खातेदारी नहीं दिये जाने के प्रावधान हैं। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उपलब्ध रेकार्ड अनुसार वादीगण का वाद जो खारिज किया गया है, उसमें प्रथम

दृष्टया हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 03–06–2017 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 26–03–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत............भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰.........मुकाम............... उदयपुर.............
व इजलास .... प्रियंका जोधावत, आर॰ए॰एस॰ ....

प्रभाष कुमार उर्फ पन्नालाल पिता बनाम राजस्थान राज्य
जरिये जिला रामलाल गुर्जर , निवासी बचीला,
कलक्टर, उदयपुर
तह.गिर्वा, जिला उदयपुर व अन्य

अपील नं॰.......156/2017.....व नाराजगी डिगरी अदालत ....उपखण्ड अधिकारी.....
...........गिर्वा.......... मुकाम................मुवर्खे.............03...............माह..............06...... 2017

दावा बाबत

यह अपील व तारीख........26....माह........03.......सन् 2019 रूबरू........ पक्षकारान
व हाजरी.................श्री पन्नालाल मारू.........मिनजानिब अपीलान्ट व......श्री पंकज भटनागर

............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि........ अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 03–06–2017 यथावत रखी जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.......)........रूपये .... X......
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का.......................... X .... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.........26......माह.......03... 2019
को जारी किया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0

1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा .. .. 4. वकील फीस बाबत .... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा . .... 4. मेहनताना वकील...... ..... मीजान		

नोटः— इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये
दिलाया गया हो।